कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि. ESIC
सत्यमेव जयते
क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार/Regional Office, Bihar
पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग, पटना-800001
Panchdeep Bhawan, Nehru Marg, Patna-01
rd-bihar@esic.nic.in 0612-2521928
www.esic.gov.in 0612-2533404

पत्र सं-42-ए-49/12/01/2011-रा. भा. दिनांक- 22.04.2025

सेवा में,

1. सभी अधिकारी/शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना
2. सभी शाखा/ शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

विषय - राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जाँच बिंदुओं का अनुपालन – वित्त वर्ष 2025-26

महोदय/महोदया,

सरकार की राजभाषा नीति को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा कुछ जाँच बिंदु स्थापित किये गए हैं और इनके सम्यक अनुपालन पर जोर दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति जब किसी इकाई (कार्यालय/ अस्पताल) का निरीक्षण करती है तो जांच बिंदुओं के अनुपालन की समीक्षा करती है। सूची में दिए गए बिंदुओं का उल्लंघन पाए जाने पर इसे गंभीरता से लिया जाता है। साथ ही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी इस मद पर चर्चा की जाती है और अनुपालन हेतु आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं।

इस क्रम में सूचित किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 हेतु कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर जांच बिंदुओं की स्थापना की गयी है जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	मद	उत्तरदायी
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज़ जैसे परिपत्र, सामान्य आदेश, ज्ञापन, आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ सभी शाखाएं
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना ।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ सभी शाखाएं
3.	लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना।	सभी शाखाधिकारी/ जारीकर्ता अधिकारी/ प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा के अधिकारी
4.	सभी पत्रशीर्ष द्विभाषी रूप में तैयार/ प्रयोग करना	सभी शाखाधिकारी/ हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
5.	रजिस्टरों एवं सेवा पुस्तिकाओं/सेवा अभिलेख के शीर्ष द्विभाषी होना तथा उनमें प्रविष्टियाँ हिंदी में किया जाना	प्रशासन शाखा के अधिकारी/ लेखा अधिकारी
6.	रबड की मोहरें, नामपट्ट,साइन बोर्ड,सूचना पट्ट आदि द्विभाषी बनाना।	सामान्य शाखा के अधिकारी/ संबंधित शाखाधिकारी

7.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रादि अनिवार्यतः हिंदी में जारी करना।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ संबंधित शाखाएं
8.	द्विभाषी कम्प्यूटरों/ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद/ व्यवस्था	सामान्य शाखा के अधिकारी/ खरीद अधिकारी
9.	हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी भाषा में ही दिया जाना ।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ संबंधित शाखाएं
10.	सभी विभागीय बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करना तथा बैठक की कार्रवाइ हिंदी भाषा में संचालित करना	बैठक अध्यक्ष/ हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/ संबंधित शाखाधिकारी/ शाखाएं
11.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा हिंदी में कार्य निष्पादन	राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सभी सदस्य
12.	सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सहित हिंदी का उपयुक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराना तथा ईमेल हिंदी में किया जाना	आईटी शाखाधिकारी तथा सभी ई-मेल जारीकर्ता अधिकारी/ शाखाएं
13.	इकाई (कार्यालय/अस्पताल) द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले मुद्रित/साइक्लोस्टाइल फॉर्म एवं मानक मसौदों को द्विभाषी रूप में ही मुद्रित तथा प्रकाशित करवाया जाना	सामान्य शाखा के अधिकारी/ संबंधित प्रयोगकर्ता अधिकारी/ शाखाधिकारी
14..	विज्ञापन पर खर्च की जाने वाली कुल राशि में से न्यूनतम 50% राशि का व्यय अनिवार्यतः हिंदी विज्ञापनों पर किया जाना	जनसंपर्क शाखाधिकारी
15.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण तथा वेबसाइट पर सामग्री (पत्र-व्यवहार आदि) द्विभाषी रूप में ही अपलोड किया जाना	वेबसाइट सामग्री प्रबंधक तथा पत्र आदि जारीकर्ता अधिकारी/ शाखा
16.	अनुपालन के संबंध में प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व (राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना/करवाना	इकाई (कार्यालय) अध्यक्ष
17.	संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुपालन	विनिर्दिष्ट शाखाओं के अधिकारी/ विनिर्दिष्ट शाखाएँ
18.	उपस्थिति पंजिका में कार्मिकों के नाम तथा हस्ताक्षर हिंदी में होना	सभी शाखाधिकारी/ सभी कार्मिक

उपर्युक्त के सन्दर्भ में अनुरोध है कि इन जांच बिंदुओं का पूरी सतर्कता के साथ सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

यह क्षेत्रीय निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by
AJIT KUMAR SHARMA
Date: 22-04-2025
15:09:08

(अजीत कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपिः

1. संयुक्त निदेशक(राजभाषा), क.रा.बी.नि. मुख्यालय, नई दिल्ली. को सूचनार्थ
2. आईटी प्रबंधक/वेबसाइट सामग्री प्रबंधन,क्षे.का.,पटना को इसकी एक प्रति क.रा.बी.नि.,क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।